दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२५८ वा | शुक्रवार १८ एप्रिल २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ पर केंद्र को ७ दिन का समय दिया; नई नियुक्तियों और संपत्ति डिनोटिफिकेशन पर रोक

नई दिल्ली, १७ अप्रैल २०२५ – सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस दौरान, अदालत ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, और 'वक्फ बाय यूजर' के तहत घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि इतने सारे मामलों पर सुनवाई करना संभव नहीं है; इसलिए, केवल पांच प्रमुख याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। इन याचिकाकर्ताओं में असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी, मोहम्मद फजलुर्रहीम, मोहम्मद जमील मर्चेंट और शेख नुरुल हसन शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस अवधि के दौरान वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी, और 'वक्फ बाय यूजर' के तहत घोषित संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद, मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई ५ मई २०२५ को निर्धारित की गई है।

वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रमुख प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली, १७ अप्रैल २०२५ – सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ की वैधता पर केंद्र सरकार को सात दिन का समय देने और 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों के डिनोटिफिकेशन पर रोक लगाने के आदेश के बाद विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM प्रमुख): ओवैसी ने अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए कहा, हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का गठन नहीं होगा, और 'वक्फ बाय यूजर' को डिलीट नहीं किया जा सकता।

मौलाना फजलुर्रहीम मुजद्दीदी (AIMPLB महासचिव): उन्होंने अधिनियम को भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि यह मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने विरोध में भेजे गए पांच करोड़ से अधिक ईमेल्स को नजरअंदाज कर दिया।

मौलाना अरशद मदनी (जमीयत उलेमा-ए-हिंद): मदनी ने कहा कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध की वकालत की।

जगदंबिका पाल (भाजपा सांसद): पाल ने कोर्ट की उस टिप्पणी का समर्थन किया जिसमें पूछा गया था कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कानूनी संस्था है, इसलिए इसमें सभी समुदायों की भागीदारी संभव है।

ममता बनर्जी (मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल): ममता बनर्जी ने भाजपा पर मुस्लिम विरोधी एजेंडे का आरोप लगाते हुए कहा, जब आप विदेश जाते हैं, तो मुस्लिम देशों की मेहमाननवाजी स्वीकार करते हैं, लेकिन देश में मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई ५ मई २०२५ को होगी और तब तक सरकार द्वारा किसी भी तरह की नई कार्रवाई पर रोक लागू रहेगी।

पहली से पांचवीं तक हिंदी को अनिवार्य करने पर राज ठाकरे का विरोध, कांग्रेसने भी जताई आपत्ति-हिंदी किताबें दुकानों में बिकने नहीं देंगे

मुंबई, १७ अप्रैल (अज़ीज़ इजाज): महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छएझ) २०२० को चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी स्कूलों में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पहली से पांचवीं कक्षा तक मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना तय किया गया है। हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के इस फैसले का महाराष्ट्र में तीव्र विरोध शुरू हो गया है।

राज ठाकरे और कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस), मराठी इंटीग्रेशन कमेटी और कांग्रेस पार्टी ने इस निर्णय का खुलकर विरोध किया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी इस थोपे गए फैसले को बर्दाश्त नहीं करेगी और हिंदी की पाठ्यपुस्तकों को दुकानों में बिकने नहीं देगी।

हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं: राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा, हम हिंदू हैं, पर हिंदी (उत्तर भारतीय) नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द पर पोस्ट कर कहा कि सरकार जानबूझकर मराठी बनाम हिंदी का विवाद पैदा कर रही है ताकि आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। उन्होंने मराठी जनता से अपील करते हुए कहा कि राज्य के मराठी भाषी नागरिकों को सरकार की इस चाल को पहचानना चाहिए। यह कोई भाषा प्रेम नहीं बल्कि आपको **उकसाकर राजनीतिक लाभ लेने की साजिश है।**

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार दक्षिण भारत की किसी राज्य पर भी इसी तरह हिंदी थोपेगी? अगर नहीं, तो केवल महाराष्ट्र को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने साफ किया कि एमएनएस पहली कक्षा से हिंदी की अनिवार्यता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हिंदी किताबें दुकानों में बेची नहीं जाएंगी और स्कूलों में वितरित करने की भी अनुमति नहीं होगी। स्कूल प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा।

हमारी पहचान पर हमला: विजय वडेट्टीवार

इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्यों के गठन के समय मातृभाषा को प्राथमिकता देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, जो शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेज़ी के साथ उपयोग होती है। ऐसे में जबरन हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपना मराठी के साथ अन्याय और मराठी पहचान पर हमला है।

उन्होंने कहा कि अगर तीसरी भाषा की आवश्यकता है तो वह वैकल्पिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। केंद्र द्वारा यह दबाव संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ है। कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है जिन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। मराठी भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

हिंदी संपर्क की भाषा है-देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई शिक्षा नीति पहले से लागू है, इसमें कोई नया निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि महाराष्ट्र का हर नागरिक मराठी जानता है, लेकिन हिंदी एक संपर्क भाषा है। इसलिए इसे सीखने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई भी भाषा सीखने पर रोक नहीं है, अगर कोई अंग्रेज़ी या अन्य भाषाएं पढ़ना चाहता है, तो उसे पूरा अधिकार है।

केज में नाबालिग की मारपीट में मौत, चिकन की कीमत को लेकर हुआ विवाद; एक किशोर पर हत्या का मामला दर्ज

केज, १७ अप्रैल (प्रतिनिधि): चिकन की कीमत को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग किशोर द्वारा दूसरे नाबालिग की बुरी तरह पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना १४ अप्रैल को शाम ५ से ५:३० बजे के बीच केज शहर में घटी। १६ अप्रैल को आरोपी किशोर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, केज शहर के खुरेशी मोहल्ला निवासी अजहर मस्तान खुरेशी का मुर्शद बाबा चौक में फेमस चिकन सेंटर नामक चिकन की दुकान है। अजहर का १७ वर्षीय चचेरा भाई रेहान खुरेशी दुकान पर ग्राहकों को चिकन देने में मदद करता था।

१४ अप्रैल की शाम, जब अजहर चिकन देने बाहर गया था, उसी दौरान पास ही स्थित मराठवाड़ा चिकन दुकान के एक नाबालिग लड़के ने रेहान खुरेशी से चिकन की कीमत को लेकर विवाद शुरू कर दिया। उसने रेहान की शर्ट पकड़कर दुकान से बाहर खींचा, फिर उसके सीने और सिर पर जोरदार धक्कामुक्की की और उसे उठाकर सीमेंट की नाली पर जोर से पटक दिया।

इस हमले में रेहान को सिर और छाती पर गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। तत्काल उसे डॉ. डोईफोडे के क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे सरकारी अस्पताल में भेजने की सलाह दी। उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की शिकायत अजहर खुरेशी ने १४ अप्रैल को केज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी नाबालिग (विधि संघर्षग्रस्त बालक) के खिलाफ हत्या (धारा ३०२) का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच फौजदार संदीप मांजरमे द्वारा की जा रही है।

रमज़ान के मौके पर सोलापुर में १०० एकड़ में बन रहा एशियन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय

गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा की मुहिम शुरू

सोलापुर (रिपोर्ट): रमज़ान के पवित्र महीने के अवसर पर सोलापुर शहर में भव्य एशियन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की नींव निधि संकलन के माध्यम से रखी गई है। यह विश्वविद्यालय १०० एकड़ ज़मीन पर विकसित किया जा रहा है, जिसकी पहली पहल एशियन इनोवेटिव मॉडर्न स्कूल के रूप में जून २०२५ से होने जा रही है।

शिक्षा में पिछड़ापन दूर करने की पहल

अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा का स्तर लंबे समय से पिछड़ा हुआ है। बच्चों की शिक्षा में गिरावट, बालश्रम जैसी समस्याओं को जन्म देती है, जिससे सामाजिक प्रगति बाधित होती है और धार्मिक कट्टरता बढ़ती है। स्वतंत्रता से पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी स्थिति को देखकर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा देकर सामाजिक क्रांति लाई।

पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था पर आयोगों की रिपोर्टें

गोपाल सिंह आयोग से लेकर सच्चर समिति तक, कई आयोगों ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा में पिछड़ेपन के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए। सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं मानी जाती और निजी स्कूलों की महंगी फीस गरीब छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करती है, जिससे शिक्षा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं।

इसी पृष्ठभूमि में एशियन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। १०० एकड़ ज़मीन पर यह संस्था धीरे-धीरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक विस्तारित होगी।

एशियन इनोवेटिव मॉडर्न स्कूल की प्रमुख विशेषताएं

गरीब छात्रों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम शिक्षा

मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अरबी भाषाओं का विशेष पाठ्यक्रम

भविष्य में इसी परिसर में महाविद्यालय की स्थापना गरीब छात्रों के लिए मुफ्त हॉस्टल सुविधा

प्रायोगिक (क्रियात्मक) शिक्षा पद्धति

महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के अनुसार पढ़ाई

प्रमुख सदस्य और नेतृत्व

इस विश्वविद्यालय मंडल में प्रमुख प्रवर्तक आसिफ इकबाल, सरफराज अहमद, जुबेर शेख, सीए मौलाना शेख, फारुक सैयद सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद शामिल हैं।

आसिफ इकबाल
प्रवर्तक, एशियन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, सोलापुर

वीडन का उदाहरण - डिजिटल शिक्षा पर पुनर्विचार

दुनिया में सबसे पहले डिजिटल शिक्षा की शुरुआत स्वीडन ने की थी। बाद में कई देशों ने इसे अपनाया, लेकिन इसके प्रभावी न होने के कारण स्वीडन ने साल २०२५ से फिर से किताब आधारित शिक्षा की ओर लौटने का फैसला किया है। यह मॉडल विश्वविद्यालय भी अपनाएगा- डिजिटल शिक्षा जरूरी है, लेकिन संवाद के साथ के सिद्धांत पर आधारित।

प्रवर्तक का वक्तव्य

हमने १०० एकड़ ज़मीन पर विश्वविद्यालय की नींव रखी है। नए शैक्षणिक वर्ष में स्कूल से शुरुआत होगी। परिसर में सुरक्षा दीवार, वृक्षारोपण, सड़क, ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजना तैयार है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

वक्फ दुरुस्ती विधेयक के खिलाफ गेवराई में विशाल मानव श्रृंखला आंदोलन, सभी समाजों का सहभाग

गेवराई (काजी अमान): भारत के ६४% मतदाता धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हैं, जबकि केवल ३६% अल्प मतदान के आधार पर सत्ता में आई भाजपा सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर मनमाने कानून लागू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक वक्फ दुरुस्ती का यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा–यह ठोस संकल्प गेवराई के सभी समाजबंधुओं ने एक मंच पर एकत्र होकर व्यक्त किया।

१७ अप्रैल २०२५, गुरुवार दोपहर ४ बजे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार, वक्फ बचाव कमेटी की ओर से गेवराई शहर के बाजार तळ पर एक विशाल मानव श्रृंखला आंदोलन आयोजित किया गया। इस आंदोलन को मुस्लिम समाज के साथ-साथ अन्य समाजों के लोगों का भी जोरदार और उत्स्फूर्त समर्थन मिला।

गर्मी के बावजूद हजारों नागरिकों ने भाग लिया। इस आंदोलन में पूर्व राज्य मंत्री बदामराव पंडित, पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित, युवा नेता शिवराज पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रा. सुशीला मोराळे, राष्ट्रीय छावा संघटना के अध्यक्ष गंगाधर काळकुटे, सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुभाष निकम, आरपीआई तालुका अध्यक्ष किशोर कांडेकर, माउली गंगाधर, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष एडवोकेट श्रीनिवास बेदरे, जमीअत उलेमा-ए-हिंद के जिलाध्यक्ष मौलाना जाकिर सिद्दीकी, दर्गाह मस्जिद के इमाम मौलाना जिया अहमद कादरी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एस.वाई. अंसारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाषण दिए और विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन को अपना सार्वजनिक समर्थन दिया।

कार्यक्रम का प्रस्ताविक मुफ्ती सय्यद मोईनुद्दीन कासमी ने किया और संचालन मुफ्ती गयास जहागीरदार ने किया। उपस्थित लोगों ने नहीं चलेगी तानाशाही, वापस लो काला कानून जैसी गगनभेदी घोषणाएं दीं। अंत में मुफ्ती मोईनुद्दीन कासमी ने दुआ कर सभी का आभार व्यक्त किया।

राज्य अध्यक्ष कडूदास कांबळे (आज़ाद क्रांती कामगार यूनियन) ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। इसके अलावा कांग्रेस नेता दादासाहेब मुंडे, दादासाहेब घोडके (संजय गांधी निराधार योजना समिति अध्यक्ष), युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस शहराध्यक्ष दीपक तात्या आतकरे, शिवसंग्राम नेता कैलास माने सहित अनेक मान्यवर आंदोलन में उपस्थित रहे।

आंदोलन के पश्चात वक्फ दुरुस्ती विधेयक का विरोध करते हुए तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल हफिज, मुफ्ती यूनुस, मुफ्ती इफ्तिखार, मुफ्ती उमर कुरैशी, मुफ्ती नखिब अजहर, मौलाना मुफज्जल शाहमीर, मौलाना जाकिर (तलवाडा), मौलाना अब्दुल सत्तार, हाफिज सादिक (मादळमोही), वरिष्ठ पत्रकार काज़ी अमान, पूर्व नगरसेवक सय्यद नजीब, सय्यद एजाज, समाजसेवी जे.डी. शाह, एड. शेख अब्बास, पत्रकार जुनेद बागवान, शेख अमजद उर्फ बब्बूभाई, सय्यद मतीनभाई, पूर्व नगरसेवक सय्यद इजहारुद्दीन, मंजूर बागवान, मुहम्मद चाऊस, वसीम फारुकी, नोमान फारुकी, और मुनाफ राज सहित भारी संख्या में समाजबंधु उपस्थित थे।

अर्धा मसला के नागरिकों को मेरा सलाम – अमरसिंह पंडित

गेवराई तालुका के अर्धा मसला गांव में मस्जिद पर हुए विस्फोट के बावजूद नागरिकों ने संयम बरतते हुए शांति बनाए रखी। इससे एक बड़ा अनर्थ टल गया। इसके लिए अर्धा मसला के नागरिकों को मेरा सलाम है, ऐसा भावपूर्वक वक्तव्य पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित ने आंदोलन में किया।

मराठा समाज हर आंदोलन में मुस्लिम समाज के साथ

मनोज जरांगे पाटिल द्वारा चलाए गए मराठा आरक्षण आंदोलन को सबसे पहले मुस्लिम समाज ने समर्थन दिया। केवल वक्फ विधेयक ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के हर संघर्ष में मराठा समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा–यह वादा राष्ट्रीय छावा संघटना के संस्थापक अध्यक्ष गंगाधर काळकुटे पाटील ने किया।

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती पर मिलीया बॉयज़ हाई स्कूल, बीड़ में एटीएल कम्युनिटी प्रोग्राम संपन्न

– काज़ी नासिर, बीड़

बीड़, १७ अप्रैल – भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती के अवसर पर मिलीया बॉयज़ हाई स्कूल, बीड़ में –ढङ (अटल टिंकरिंग लैब) कम्युनिटी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक (क्रिएटिव) और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन अंजुमन की सचिव श्रीमती सबीहा बानो खान के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीड़ शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलीया बॉयज़ हाई स्कूल की –ढङ लैब का दौरा कराया गया। सरकार द्वारा इस विशेष पहल के तहत बच्चों को लैब का परिचय कराया गया और पिछले वर्ष मिलीया के छात्रों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई।

लैब के इंचार्ज डॉ. फतहुल मुबीन रफीक हाशमी, टेक्नो टीचर्स सैयद फरहान और शेख अरबाज़ तथा प्राचार्य डॉ. फैसल चाऊस ने उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षकों का मार्गदर्शन किया।

कार्यक्रम में मिलीया बॉयज़ हाई स्कूल के टेक्नो स्टूडेंट्स ने भी अन्य स्कूलों से आए छात्रों को –ढङ प्रोजेक्ट्स तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इस कार्यक्रम की सफलता में प्राचार्य डॉ. फैसल चाऊस की सरपरस्ती और सहायक हेडमास्टर अल्हाज सिद्दीकी सर, अमरचौस सर, एजाज़ सर, शैराज़ सर एवं मोहसिन सर के उत्कृष्ट सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

माजलगांव में महावितरण के उपकार्यकारी अभियंता समेत तीन रिश्वतखोर एंटी करप्शन के जाल में फंसे

माजलगांव, १७ अप्रैल (प्रतिनिधि): बिजली चोरी के नाम पर १ लाख ८२ हजार रुपये जुर्माना लगाने की धमकी देकर ५० हजार रुपये रिश्वत की मांग करने के मामले में महावितरण कंपनी के उपकार्यकारी अभियंता, एक लाइनमैन और एक निजी व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया है। इस मामले में तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया माजलगांव ग्रामीण थाने में जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलगांव उपविभाग में तैनात महावितरण कंपनी के उपकार्यकारी अभियंता विवेक जनार्धन मवाडे, लाइनमैन शेख जलील शेख अब्दुल्ला, और निजी व्यक्ति मोमीन मोहीब ने पात्रुड (ता. माजलगांव) स्थित एक होटल के मालिक को बिजली चोरी का झांसा देकर १.८२ लाख रुपये के जुर्माने की धमकी दी। जुर्माना न लगाने की एवज में ५० हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई।

होटल मालिक ने इस बारे में बीड़ स्थित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एंटी करप्शन ब्यूरो) को लिखित शिकायत दी थी। १५ अप्रैल को शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाया गया। जांच में यह सिद्ध हुआ कि विवेक मवाडे ने स्वयं के लिए रिश्वत मांगी और लोकसेवक शेख जलील को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित किया। १७ अप्रैल को पात्रुड में होटल परिसर में जाल बिछाकर कार्रवाई की गई, जहां निजी व्यक्ति मोमीन ने ५० हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पंचों के सामने रंगेहाथ पकड़ा गया। इसके बाद लाइनमैन शेख जलील को भी हिरासत में लिया गया, जबकि उपकार्यकारी अभियंता विवेक मवाडे फरार हो गया है।

इस कार्रवाई में बीड़ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग के उप अधीक्षक शंकर शिंदे, पुलिस निरीक्षक युनूस शेख, किरण बगाटे, और अन्य पुलिसकर्मियों – सुरेश सांगळे, श्रीराम गिराम, हनुमान गोरे, भरत गारदे, सुदर्शन निकाळजे, अमोल खरसाडे, संतोष राठोड, गणेश मेहत्रे, अंबादास पुरी, बिबीशन सांगळे ने सफलता पूर्वक यह ऑपरेशन अंजाम दिया।

हमदर्द युनिवर्सिटी में मुशायरा संपन्न

दिल्ली (संवाददाता)

कल रात, विज्ञान विभाग, और सांस्कृतिक समिति द्वारा हकीम अब्दुल हमीद ऑडिटोरियम, जामिया हमदर्द, नई दिल्ली में परवाज़ ए सुख़न के नाम से एक अखिल भारतीय मुशायरा व कवी सम्मलेन का आयोजन किया गया।

कविता पाठ की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि एजाज अंसारी ने की, जबकि संचालन डॉ. खुबैब अहमद ने किया। मुशायरे का उद्घाटन पारंपरिक तरीके से मोमबत्तियां जलाकर किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंथी प्रकाश बाबू, कुलपति, पांडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और प्रोफेसर एम.के ठाकुर (अध्यक्ष, एसएनसीआई) ने संयुक्त रूप से शायरों और शायरात के साथ दीप प्रज्वलित किया। मुशायरा कमेटी की ओर से मुख्य अतिथि माननीय कुलपति पांडिचेरी केंद्रीय विवि व विशिष्ट अतिथि के साथ सम्मेलन के आयोजकों द्वारा सभी कवियों को सुंदर स्मृति चिन्ह वितरित किए। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुलपति ने कहा कि यह संस्था न केवल स्वर्गीय हकीम अब्दुल हमद साहब के सपनों को साकार करने वाली संस्था है, बल्कि यह संस्था विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों और मुशायरों के संबंध में भी अपना महत्व रखती है। इस संबंध में उन्होंने जामिया हमदर्द के सांस्कृतिक समन्वयक एवं मुशायरा संयोजक प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी को विशेष रूप से बधाई दी। काव्य महोत्सव में अपनी कविताओं से श्रोताओं का मनोरंजन करने वाले कवियों के नाम इस प्रकार हैं: एजाज अंसारी (कविता महोत्सव के अध्यक्ष), अज़्म शकेरी (एटा), डॉ. अंबर आबिद (भोपाल), इकबाल फिरदौसी, तहसीन मुनव्वर, सोहेब अहमद फारूकी, डॉ आदेश त्यागी, सलीम अमरोहवी, सालिम सलीम, चांदनी पांडे (कानपुर) और अब्बास कमर (जौनपुर)। जामिया हमदर्द के इस सफल काव्य संध्या में श्रोता के रूप में भाग लेने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में प्रोफेसर एस.के. ठाकुर, प्रोफेसर सोहेल परवेज़ (डीन साइंस स्कूल) और अशकरा खानम कशफ के अलावा देश भर से आए न्यूरोसाइंटिस्ट और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। अंत में प्रोफेसर मुहम्मद अकरम ने सभी का धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत-नसीम खान की केंद्र से नया वक्फ एक्ट रद्द करने की मांग

मुंबई, १७ अप्रैल (जमीर काजी): कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नसीम खान ने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और केंद्र सरकार से नया वक्फ एक्ट रद्द करने की अपील की है।

टिळक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नसीम खान ने कहा कि मोदी सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर वक्फ संशोधन विधेयक को बहुमत के बल पर संसद में पास कराया है। हालांकि, कांग्रेस और कई अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के हितों से कोई सरोकार नहीं है। गरीब मुसलमानों की भलाई के नाम पर लाया गया यह कानून गैरसंवैधानिक है। बीजेपी लोगों के बीच गलत जानकारी फैला रही है।

नसीम खान ने बताया कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों और संगठनों ने इस वक्फ संशोधन विधेयक का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी में शामिल मुस्लिम नेताओं की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची है, मोदी-शाह की बीजेपी ने उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया है।

इसके उलट, कांग्रेस पार्टी सभी जातियों और धर्मों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व और अवसर देती है, यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष भी सभी समुदायों से चुने जाते हैं। नसीम खान ने कहा कि बीजेपी को यह तय करना चाहिए कि वह अपनी पार्टी में अल्पसंख्यकों को क्या स्थान देना चाहती है, और प्रधानमंत्री मोदी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए।

गोदावरी नदी के बैराजों को गर्मियों में पुनर्भरण के लिए नीति स्तर पर निर्णय लिया जाए-विधायक विजयसिंह पंडित की जलसंपदा विभाग से मांग

छत्रपती संभाजीनगर, १७ अप्रैल (प्रतिनिधि): गोदावरी नदी के सभी बैराजों का हर वर्ष मार्च के अंत तक पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिए एक नीति स्तर पर स्थायी निर्णय लिया जाए, पैठण के दाईं नहर से गर्मी के मौसम के लिए एक और जल आवर्तन बढ़ाया जाए, शहागड को. प. बांध की ऊंचाई बढ़ाकर उसे बैराज में बदला जाए, और पीने के पानी के लिए गोदावरी नदी में तत्काल पानी छोड़ा जाए- इन विभिन्न मांगों को लेकर विधायक विजयसिंह पंडित ने गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडल के कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार समेत जलसंपदा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक विलास भुमरे और पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित भी उपस्थित थे।

बैठक में जयकवाड़ी बांध, पैठण दाईं नहर और विभिन्न बैराजों के संदर्भ में जल प्रबंधन और सार्वजनिक हित से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। पैठण के विधायक विलास भुमरे पाटील और जय भवानी सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन अमरसिंह पंडित भी बैठक में मौजूद

थे। विधायक विजयसिंह पंडित ने बताया कि जयकवाड़ी बांध के पानी के उपयोग की योजना भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार तैयार करनी होगी। उन्होंने मांग की कि गोदावरी नदी के सभी बैराजों के पुनर्भरण के लिए आवश्यक पानी का सटीक आकलन कर हर साल मार्च के अंत तक नियोजित रूप से बैराजों का पुनर्भरण सुनिश्चित किया जाए।

शहागड को. प. बांध की खराब स्थिति और उस पर पीने के पानी की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए उसकी ऊंचाई बढ़ाकर बैराज में परिवर्तित करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही, गर्मी के मौसम में पैठण दाईं नहर से जल आवर्तन की संख्या बढ़ाई जाए और दो जल आवर्तनों के बीच का अंतर घटाकर १५ दिन किया जाए। अगली जल आवर्तन २० अप्रैल से शुरू की जाए-इस पर भी सहमति बनी।

विधायक पंडित ने बताया कि पैठण दाईं नहर की वहन क्षमता को बहाल करने के लिए नहर की अस्तरबंदी की गई है, जिससे अब पानी रिसकर नहीं जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के जलस्रोत सूखने लगे हैं। ऐसे में गोदावरी नदी से पानी छोड़ना आवश्यक हो गया है, जिससे टंचाईग्रस्त नागरिकों और पशुओं को पीने के पानी की सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त बैठक में गोविंदवाड़ी जलाशय की मरम्मत, दाईं नहर पर पुल निर्माण, आपात स्थिति में नदी में पानी छोड़ने के लिए नियंत्रण गेट का निर्माण आदि मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।

अंत में विधायक पंडित ने जानकारी दी कि वे आगामी सप्ताह में राज्य के जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील से भेंट करेंगे और इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com